ोवा में,

श्रिमान उपखण्ड अधिकारी, आबू पर्वत (सिरोही)

Read
report
[illegible]

ी.के. भरत उर्फ बाब साहेब पुत्र श्री त्रंबक, आयु 49, निवासी शान्तिवन, आबूरोड . . . प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, आबूरोड
2. नगर सुधार न्यास -आबू जरिए सचिव . . . . . .अप्रार्थी

ार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दूरुस्ती रेकॉर्ड एवम् दूरुस्ती नक्शा।

ान्यवर,

प्रार्थी निम्न निवेदन करता है।

1. यह कि, प्रार्थी प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय एवम् वर्ल्ड रिनिवल स्पीरिच्वल ट्रस्ट के ओर से अधिकृत प्रतिनिधि है।
2. प्रार्थी प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यायलय, शान्तिवन का उप प्रबंधक एवम् मुख्य अभियंता है।
3. यह कि, प्रार्थी ग्राम दानवाव, पटवार हल्का मानपुर में स्थित अराजी ख.नं. 108/2, 108/3, 109/2 एवम् 109/3 कुल 10-08 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमि रुपांतरण के पश्चात् नगर सुधार न्यास के नाम से अंकित हो गयी है और वर्तमान में उपरोक्त संपरिवर्तित भूमि पर प्रार्थी का आनंद सरोवर परिसर बना हुआ है।
4. यह कि, मौके पर पश्चिम दिशा में भूमि 1-01 बीघा नाप में कम है ।
5. यह कि, प्रार्थी अपने खाते की 1-01 बीघा भुमि को पूर्ण करवाने का अधिकारी है।
6. यह कि, प्रार्थनापत्र पूरे कोर्ट फीस पर पेश है, और माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर के निवेदन है कि, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि को पूर्ण की जावे। अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय न्यायहित उचित समझे, प्रार्थी के हक में पारित किया जावे।

दि. 24/10/17

submitted by [illegible]

प्रार्थी

BKBharat

बी.के. भरत
जरिए वकील

Scanned by CamScanner

सेवा में,

श्रिमान उपखण्ड अधिकारी, आबू पर्वत (सिरोही)

बी.के. भरत उर्फ बाब साहेब पुत्र श्री त्रंबक, आयु 49, निवासी शान्तिवन, आबूरोड . . . प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, आबूरोड
2. नगर सुधार न्यास -आबू जरिए सचिव . . . . . .अप्रार्थी

शपथपत्र

मैं बी.के. भरत उर्फ बाब साहेब पुत्र श्री त्रंबक, आयु 49, निवासी शान्तिवन, आबूरोड निम्न लिखित तथ्य शपथ पूर्वक भयान करता हूँ।

1. यह कि, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मद संख्या1 से 5 तक मेरे जानकारी और विश्वास से सत्य है। इन्हें मेरे शपथ पत्र का भाग समझा जावे और शपथ पत्र के साथ पढ़ा जावे।

2.

BuBhurat

शपथकर्ता

दि. 24/10/17

सत्यापन

मैं बी.के. भरत, उपरोक्त शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि, शपथ पत्र में वर्णित तमाम त्थ्य मेरी निजी जानकारी और विश्वास से सत्य है। कोई बात घटाई, बढाई या छिपायी नहीं है। ईश्वर साक्षी है।

BuBhurat

शपथकर्ता

दि. 24/10/17

Scanned by CamScanner

वकालत नामा

तारीख पेशी

मुकद्दमा नम्बर /2017

सेवा में श्री [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

मैं/हम [illegible] पुत्र [illegible] जाति

निवासी [illegible] तहसील [illegible] उपरोक्त मुकद्दमें में अपनी ओर से

श्री [illegible] NK [illegible]

वकील नियुक्त करता हूं/करते हैं, उनको मेरी/हमारी तरफ नीचे लिखे खास अधिकार होंगे, दावा जवाब दावा जवाबुल जवाब, अपील क्रॉस ऑब्जेक्शन, दरख्वास्त, निगरानी दरख्वास्त, नजरसानी, दरख्वास्त, इजराय इस्तगासा उजरदारी इत्यादि अपने दस्तखत कर प्रस्तुत करना व इससे सम्बन्धित दूसरी दरख्वास्तें मुकद्दमा अदम पैरवीं में व इकतरफा होने पर बरामदगी की दरख्वास्त व इकतरफा मन्सूखी की दरख्वास्त दस्तावेज प्रस्तुत करना व वापस लेना रकम जमा कराने की दरख्वास्त करना व न्यायालय से रकम वापस लेना व राजीनामा करना व अपने हस्ताक्षर से राजीनामा प्रस्तुत करना व मुकदमें को वापिस लेना व विशेष शपथ द्वारा मुकद्दमें का निर्णय करने के लिए पंच नियुक्त करना व मेरी तरफ से आर्डर १० जाब्ता दिवानी के अनुसार वयान देना व मुकदमें की पैरवी, एक्ट व प्लीड करना व करने के लिए दूसरे वकील को नियुक्त करना व इब्तदाई डिक्री से कतई डिक्री से व अन्तरिम (दरम्यानी आज्ञा के विरूद्ध अपील निगरानी क्रॉस आब्जेक्सन आदि) पेश करना इसी मुख्तारनामा के आधार पर इसी न्यायालय या दूसरे न्यायालय में करना व सब पर अपने हस्ताक्षर कर[illegible] इन्कमटेक्स एग्रीकल्चर, इन्कमटेक्स, सेल्सटेक्स व एस्टेड डयुटी के कानून के अन्तर्गत प्रत्येक कार[illegible] हो इसके अलावा वकील साहब को मेरी/हमारी तरफ से सब प्रकार की कार्यवाही करने का अ[illegible] कर सकता हुँ/सकते है व आखिरी न्यायालय तक जो कुछ भी कार्यवाही वकील साहब करेंगे स[illegible] जैसा कि मैने/हमने खुद की हो इस मुकद्दमें की गैरोकारी लिए रू.) [illegible] तय किये जिसमें से रू.) अदा कर दिये व रू.) बाकी [illegible] दिन में या फैसले के पहले अदा कर दिये जायेगे निश्चित समय पर अदा न करने पर वकील साहब मुकद्दमे की पैरवी बिना मुझे/हमको नोटिस देकर छोड़ सकेंगे यह रकम इसी अदालत से एक बार मुकद्दमें का निर्णय होने तक के लिए (चाहे निर्णय न्याय से हो चाहे आपसी रजामन्दी से हो) तय किया है । फैसला रजामन्दी से या शपथ से होने पर भी यह तयशुदा रकम वकील साहब को लेने का हक होगा । मुकद्दमा इस न्यायालय में मुन्तकिल होगा या अपील निगरानी वगैरा मे जायेगा या रिमाण्ड हो इसके लिए इसी न्यायालय का या दूसरे न्यायालय का महनताना अलग देना पडेगा हर पेशी पर मै/हम या मेरा/हमारा पैरोकार हाजिर रहेगा व अदम पैरवी या एक तरफा की जिम्मेदारी वकील साहब की नही होगी वकील साहब की हिदायत के अनुसार मै/हम पैरवी करता रहूंगा/करते रहेंगे न करने पर वकील साहब को मुकदमें की पैरवी छोडने का हक होगा । परन्तु उस सूरत में भी तय शुदा रकम लेने का हक वकील साहब को होगा । इस मुख्तारनामा की रूह से एक से ज्यादा वकील मुकर्रर किये जाने की सूरत में एक की ही हाजरी काफी होगी अगर न्यायालय में मेरी रकम जमा होगी उसमें से वकील साहब को बकाया महनताना व दीगर खर्च जो वकील साहब मेरे मुकद्दमें का करेंगे अव्वल लेने का हक होगा असली कागजात मुकद्दमें की फाईल बकाया रकम अदा किये बिना ले जाने का हक मेरा नहीं होगा इल्तुआ पेशी इकतरफा मसूखी व दीगर दरम्यान खर्चा जो न्यायालय दिलाया जायेगा वह तय शुदा रकम के अलावा वकील साहब का ही होगा इसमें मेरा/हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। फकत तारीख माह सन् २००

हस्ताक्षर एडवोकेट [illegible]

BuBhatt

हस्ताक्षर वकालतानामा